न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 3935/2022

CNR No: UPFD01–009153–2022

अरजेश पुत्र चरन सिंह, निवासी ग्राम बन्ना, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 20 बर्ष। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०सरकार। .....विपक्षी।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अरजेश की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र थाना टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद, मु०अ०सं०–595/2022, धारा–420, 467, 468, 471, 120 बी भा०द०सं० के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक यह है कि वादी जितेन्द्र कुमार उपाध्याय ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी कि उसके नाम ग्राम सभा टूण्डली जिला फिरोजाबाद खसरा नं० 198/2 रकवा0.0520 है व 199/2 रकवा 0.4140 है व 200/2 रकवा 0.354 है कुल किता 3 कुल रकवा 0.8200 है भूमि दर्ज है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का दिनांक 02.09.2022 को फर्जी व कूटरचित इकरारनामा निष्पादित कर दिया गया है जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय टूण्डला पर दिनांक 02–09–2022 को वही सं० 1 के खण्ड सं० 5759 पृष्ठ सं० 207 से 220 पर क्रम सं० 6077 पर किया गया है। उक्त फर्जी प्रलेख में उसके स्थान पर किसी अन्य पुरूष का फोटो चस्पा किया गया है तथा पहचान में आधार कार्ड का नम्बर भी फर्जी है जो उसके नाम से लोकेन्द्र पाल आधार कार्ड सं० 732264266635 व रामवीर आधार कार्ड सं० 753984625875, व विजय प्रकाश आधार संख्या 221484619244 व श्रीमती आरती गौतम आधार संख्या 895478994081 के हक में निष्पादित किया गया है। उक्त फर्जी प्रलेख में तथाकथित विक्रेता की पहचान गवाह दिनेश कुमार जिसका आधार संख्या 556056912818 तथा विपिन कुमार आधार संख्या 779236530603 ने की है। उक्त फर्जी प्रलेख का लेखक योगेश कुमार बघेल बैनामा लेखक तहसील टूण्डला है। क्त फर्जी प्रलेख की उसको कोई जानकारी नहीं है और न प्रार्थी उपरोक्त क्रेतागणों व गवाहों को जानता है। उक्त फर्जी प्रलेख में उपरोक्त क्रेतागणों व गवाहों की साजिश व सांठ गांठ है जिन्होंने उसकी उक्त भूमि फर्जी प्रलेख से हड़पने का प्रयास किया है। वादी की उक्त सूचना के आधार पर 07 सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्बन्धित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी को वादी मुकदमा द्वारा नामजद नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना प्रार्थी के खेत के फर्जी इकरारनामा के सम्बन्ध में बतायी गयी है। कथित अभिलेख में न तो प्रार्थी क्रेता है न विक्रेता है और न ही गवाह है और न ही उसका किसी कागज पर हस्ताक्षर है और न ही उसका इस मामले से कोई लेना देना है। पुलिस द्वारा मात्र गुडवर्क दिखाने के उददेश्य से उसको उपरोक्त मुकदमें में निरूद्व कर दिया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं दिया है बल्कि पुलिस द्वारा सह–अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में लिए गये बयान के आधार पर उसको उपरोक्त मुकदमें में फंसा दिया है। पुलिस अभिरक्षा में लिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, केस डायरी का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

अभियुक्त पर दौरान विवेचना प्रकाश में आने पर, उसके द्वारा अपने अन्य सह–अभियुक्तगणों के साथ मिलकर, आपराधिक षडयन्त्र के तहत, धोखाधड़ी और जालसाजी करके वादी के स्थान पर किसी अन्य पुरूष का फोटो चस्पा कर और फर्जी आधार कार्ड बनाकर, उसकी उक्त जमीन खसरा नं० 198/2 रकवा0.0520 है० व 199/2 रकवा 0.4140 है व 200/2 रकवा 0.354 है०, कुल किता 3 कुल रकवा 0.8200 का फर्जी और कूटरचित इकरारनामा निष्पादित किये जाने का आरोप है, जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी पुष्टिकारक साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध है। अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अरजेश का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 29-10-2022

(हरवीर सिंह)
सत्र न्यायाधीश
फिरोजाबाद।